

विषय:-आगरा मंडल में अप्रैन्टिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 के लिए ट्रेड अप्रैन्टिस के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय में अवगत कराना है कि आगरा मंडल पर अप्रैन्टिस एक्ट 1961 के तहत वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने हेतु निम्नलिखित शर्तें लागू होगी:-

1. चयनित प्रशिक्षु को मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिये उपस्थित होना है। दस्तावेजों की स्वप्रमाणित सत्यापित प्रतिलिपि भी दो प्रतियों में प्रस्तुत करनी होगी।
2. रेलवे बोर्ड द्वारा जारी एनेक्सर-एच में चिकित्सा प्रमाण पत्र पर सरकारी अधिकृत डाक्टर (राजपत्रित) केन्द्रिय/राज्य अस्पताल के सहायक सर्जन के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। एनेक्सर-एच प्रोफार्मा सलंगन है।
3. आपको दैनिक भत्ता या ट्रेवलिंग भत्ता नहीं दिया जायेगा। चयनित प्रशिक्षुओं को होस्टल/आवास प्रदान नहीं किया जायेगा तथा अप्रैन्टिस एक्ट 1961 के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवारों को अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
4. अप्रैन्टिस प्रशिक्षण शुरू होने के पहले चयनित उम्मीदवार को या यदि अभी वह नावालिंग है तो उसके अभिभावक को एम्प्लायर के साथ अप्रैन्टिस एक्ट 1961 के प्रावधान के अनुसार अप्रैन्टिसशिप करार करना होगा।
5. रेल संगठनों में प्रशिक्षण प्राप्त अप्रैन्टिस इस प्रकार के प्रशिक्षण के आधार पर रेलवे में रोजगार प्राप्त करने के लिए कोई दावा नहीं कर सकता है।
6. किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना/जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं तो रेल प्रशासन ऐसे उम्मीदवार को न केवल किसी भी स्तर पर बिना कोई नोटिस दिए अपितु उसके चयन के पश्चात भी प्रशिक्षण पर जाने से रोकन का अधिकारी है।
7. आपको हाल ही का खिचा हुआ 04 पासपोर्ट साईज फोटो लाना होगा।
8. यदि आप निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उपस्थित होने में असमर्थ रहते हैं तो फिर आगे कोई अवसर नहीं दिया जायेगा।
9. आपको यह भी सूचित किया जाना है कि कार्यालय में निर्धारित समय सीमा के उपस्थित होने से पहले अप्रैन्टिस पोर्टल पर पंजीकरण करना सूनिश्चित करें जिसे आईटीआई, शैक्षिक योग्यता, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, स्वयं की हस्ताक्षर सही से अपलोड करें अपनी प्रोफाईल को 100 प्रतिशत पूर्ण करने के उपरान्त उपस्थित होना सूनिश्चित करें।